"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2009—कार्तिक 15, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राज्यपाल का सचिवालय
रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

क्रमांक 4578/रास/2009.— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 28 की उपधारा (1) और (2) (i) से (iv) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्यपाल का सचिवालय, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—**

(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राज्यपाल का सचिवालय सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति तथा शुल्क एवं लागत) नियम, 2009" होगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

(2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा:

(ग) "गरीबी रेखा से नीचे के परिवार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के वह परिवार जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो; और

(घ) इसमें प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य सभी शब्द व वाक्यांश जो परिभाषित नहीं किए गए हैं और अधिनियम में परिभाषित है, उनका अधिनियम में नियत अर्थ ही माना जाएगा.

3. सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में, रुपये दस का आवेदन शुल्क, सिवाय जैसा नियम 7 में प्रावधानित है, शासकीय कोषालय में जमा करने के बाद प्राप्त चालान की प्रति अथवा समतुल्य राशि का न्यायिकेतर मुद्रांक के साथ प्रस्तुत करना होगा जो एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यत: एक सौ पचास शब्दों में अधिक नहीं होगा. यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा:

परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा.

4. नियम 3 के तहत निर्धारित आवेदन शुल्क, विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान के द्वारा जमा करना होगा, जो लोक प्राधिकारी के नाम से देय होगा.

5. धारा 7 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार मूल्य, विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जमा करना होगा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय होगा :—

(क) प्रत्येक तैयार किए गए पृष्ठ या प्रतिलिपि (ए-4 या ए-5 आकार के कागज) के लिए दो रुपए;

(ख) बड़े आकार के कागज पर तैयार प्रतिलिपि का वास्तविक मूल्य अथवा लागत मूल्य;

(ग) नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य अथवा लागत मूल्य; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे के लिए पचास रुपये का शुल्क और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये का शुल्क.

6. धारा 7 की उप धारा (5) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जमा करना होगा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय होगा :—

(क) डिस्क में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति डिस्क; एवं

(ख) मुद्रित अथवा प्रकाशित रूप में सूचना के लिए ऐसे दस्तावेज के लिए नियत लागत.

7. अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के व्यक्ति द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार उपलब्ध करायी जाएगी:—

(एक) आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी यदि उसके स्वयं से संबंधित है, तो वह जानकारी चाहे गये प्रारूप में नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाएगी;

(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है तो वह जानकारी निर्धारित शुल्क एवं मूल्य के भुगतान करने पर ही उपलब्ध करायी जाएगी.

No./4579/GS/2009.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) (i) to (iv) of Section 28 of the Right to Information Act. 2005 (No. 22 of 2005), the Governor's Secretariat Chhattisgarh hereby makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement :–**

(1) These rules may be called the Governor's Secretariat Chhattisgarh Right to Information (submission of application and fee and cost) Rules, 2009.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :–** In the rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005);

(b) "section" means section of the Act;

(c) "family below poverty line" means such family of the state of Chhattisgarh which is declared as below poverty line by the Government of Chhattisgarh; and

(d) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. A request for information under section 6 of the Act shall be in writing accompanied by, except as otherwise provided under rule 7, a copy of the challan received after the application fee of rupees ten has been paid into a Government Treasury or non-judicial stamp of the same amount, and shall relate to one subject matter only and it shall not ordinarily exceed one hundred and fifty words. If any applicant wishes to have information on more than one subject matter, he shall make separate applications therefor :

Provided that in case, the request made relates to more than one subject matter, the Public Information Officer shall provide information relating to the first subject matter only and may advise the applicant to make separate applications for each of the other subject matters.

4. The application fee as stipulated under rule (3) shall be deposited in a Government Treasury through challan under departmental receipt head, "Major Head-0070-Sub Major Head-800-Other receipts" payable to "Lok Pradhikari".

5. For obtaining information under sub-section (1) of section 7, the fee shall be deposited in a Government Treasury through challan under departmental receipt head, "Major Head-0070-Sub Major Head-800-Other receipts" payable to "Lok Pradhikari", at the following rates :–

(a) rupees two for each page (in A-4 or A-5 size paper) created or copied;

(b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;

(c) actual cost or price for samples or models; and

(d) for inspection of records, a fee of rupees fifty for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent fifteen minutes (or fraction thereof) there after.

6. For obtaining information under sub-section (5) of section 7, the cost shall be deposited in a Government Treasury through challan under departmental receipt head, "Major Head-0070-Sub Major Head-800- Other receipts" payable to "Lok Pradhikari" at the following rates :–

(a) for information provided in diskette, rupees fifty per diskette; and

(b) for information provided in printed or published form at the price fixed for such printing or publication.

7. Information under the Act sought by a person belonging to a family living below poverty line shall be pro vided as described here under :–

(i) If the information sought relates to himself or herself then the information will be provided free of cost in the form it is sought;

(ii) If the information sought does not pertain to himself or herself then the information sought shall be provided on payment of the fee and cost prescribed therefor.

पी. सी. दलेई,
राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-1-2/2009/एक/2.—श्री पी. दयानंद, भा. प्र. से. (2006) सहायक कलेक्टर, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा. प्र. से. (2006) सहायक कलेक्टर, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 20-10-2009 से 31-10-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01 एवं 02 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री राधाकृष्णन के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सदस्य, राजस्वमण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/52/2004/1/2.—श्री सोनमणि वोरा, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को दिनांक 16-11-2009 से 27-11-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 28 एवं 29 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वोरा आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री वोरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वोरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री वोरा के उक्त अवकाश अवधि में श्री अम्बलगन पी., भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला-बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1280/926/2009/1-8/स्था.—श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-10-2009 से 31-10-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 25-10-2009 तथा 1 एवं 2-11-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री क्षेत्र सिंह के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री क्षेत्र सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्षेत्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1260/818/2009/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-9-2009 से 25-9-2009 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सैयद कौसर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैयद कौसर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

क्रमांक 2699/925/2008/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 15-6-2009 से 19-6-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल को शोध अधिकारी, 13वां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

क्रमांक 2702/900/2009/1-8/स्था.—डॉ. संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 21-10-2009 से 29-10-2009 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय कुमार अलंग को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. संजय कुमार अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

क्रमांक/383/आर. 131/2009/स्था/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन भुगतान लेखा के संकलन हेतु जिला कोषालय, रायपुर को नोडल जिला कोषालय घोषित करता है. विभिन्न जिला कोषालयों के स्थान पर जिला कोषालय, रायपुर नोडल कोषालय के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के पेंशन भुगतान लेखा को प्राप्त करेंगे. इस अधिसूचना जारी होने के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन लेखा, जिला कोषालयों को न भेज कर उनके स्थान पर केवल जिला कोषालय, रायपुर को संप्रेषित करेंगे.

No./385/R. 131/2009/ESTT./IV.— In exercise of the powers conferred under article 283 (2) of Constitution of India the Government of Chhattisgarh hereby declares District Treasury, Raipur as nodal treasury for the purpose of receiving pension disbursement account from State Bank of India (S. B. I.) of such pensioners who are authorised to receive their pension disbursements from S. B. I. with issue of this notification, the State Bank of India shall cease to send pension disbursement accounts to Distt. treasuries and instead shall send them to the District Treasury, Raipur alone.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. खरे, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-1/2009/16.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (5) के अधीन प्रयोज्य शक्ति, श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी.

No. F-9-1/2009/16.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Govenment hereby directs that powers under Section 12 (5) of the said Act shall be exercisable by the Shri S. L. Jangde, Assistant Labour Commissioner Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh Raipur.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-1/2009/16.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति, श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी.

No. F-9-1/2009/16.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Govenment hereby directs that powers under Section 10 of the said Act shall be exercisable by the Shri S. L. Jangde, Assistant Labour commissioner Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh Raipur.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-1/2009/16.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 के नियम 25-ए की उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 एवं धारा 12 की उपधारा (5) के अंतर्गत संदर्भित औद्योगिक विवादों में श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक पंच निर्णय के प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

No. F-9-1/2009/16.— In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 25-A of the Chhattisgarh Industrial Dispute Rules, 1957 and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby authorise the Shri S. L. Jangde, Assistant Labour Commissioner Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh, Raipur to acknowledge the receipt of every arbitration award of a Labour Court of Industrial Tribunal in an industrial dispute referred to it under section 10 or Sub-section (5) of Section 12 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. 14 of 1947).

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-1/2009/16.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 33-सी के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति, श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी.

No. F-9-1/2009/16.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Govenment hereby directs that powers under Section 33-C of the said Act shall be exercisable by the Shri S. L. Jangde, Assistant Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh Raipur.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-1/2009/16.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति, श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी.

No. F-9-1/2009/16.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Govenment hereby directs that powers under Section 12(3) of the said Act shall be exercisable by the Shri S. L. Jangde, Assistant Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh Raipur.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-1/2009/16.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति, श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, छ. ग. रायपुर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जायेगी.

No. F-9-1/2009/16.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Govenment hereby directs that powers under Section 34 of the said Act shall be exercisable by the Shri S. L. Jangde, Assistant Labour /Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh Raipur.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 1-25/2008/16.—व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. एल. जांगड़े, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कार्मिक संघों का जिनका उद्देश्य इस राज्य से सीमित है, के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का "रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन" नियुक्त किया जाता है.

No. F-1-25/2008/16.— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act, 1926 (No. 16 of 1926) and in supersession of the all previous notifications in this regard the State Govt. hereby appoints Shri S. L. Jangde, Assistant Labour Commissioner (Office of the Labour Commissioner) as the Registrar of Trade Unior in the State of Chhattisgarh in relation to Trade Unions whose objects are confired to the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 8-2/2009/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66-वैशालीनगर में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 07 नवम्बर 2009 दिन शनिवार को मतदान हेतु कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 07 नवम्बर 2009 दिन शनिवार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवकाश घोषित किया जाता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते है वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है. साथ ही जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	पतुरियाडांड़	18.017	कार्यपालन अभियंता, सी.एस.पी. जी.सी.एल., छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा.	थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिए कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

क्रमांक/8275/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	रतनभाट प. ह. नं. 67	7.49	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोतीनाला व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्र. अ. भू-अ.प्र.क्र./1593/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	मंगचुवा प. ह. नं. 30	0.26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बालोद.	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./3/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पसला	20.09	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./4/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	डुमरिया	10.28	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./5/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पीढ़ा	0.87	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./6/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पर्री	22.69	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./7/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पतरापारा	3.09	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./8/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	सोनपुर	8.46	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./9/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	गोपीपुर	10.26	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.,

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	कैलाशपुर	7.15	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	बिशुनपुर	10.32	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./12/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	नारायणपुर	7.00	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./13/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	चन्दरपुर	25.331	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./14/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	भुनेश्वरपुर	9.29	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	मदनेश्वरपुर	24.53	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./16/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	कौशलपुर	9.89	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग, छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2009

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./06/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-ओटगन, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.281 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	503/3	0.060
	541	0.012
	550/5	0.053
	545, 50/4	0.077
	546	0.036
	550/3	0.129
	547/1	0.081
	549/1, 550/2	0.028
	549/2, 550/6	0.085
	563/3	0.663
	540	0.057
योग	11	1.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिभगा वितरक नहर माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसवेट क्र. 3 तिल्दा (तुलसी), जिला-रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1670/31 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-गोड़मर्रा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	367 368	0.25
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2009

क्रमांक/270/पंचा./2009.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-11-95 बाईस पं. 2 दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 126 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम 1994 के नियम 4 के प्रावधान के अधीन एवं छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर के द्वारा ग्राम पंचायत छुरीकला के स्थान पर नगर पंचायत छुरीकला गठित करने की आशय की अधिसूचना जारी करने के फलस्वरूप राजस्व जिला कोरबा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में दर्शाए ग्राम पंचायत जिसका विवरण सारणी के स्तंभ तीन में दर्शाया गया है, के विस्थापन का विनिश्चिय सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित करते हैं. उक्त अधिनियम की धारा 126 की उपधारा 2 के तहत एतद्द्वारा यह आदेश भी कलेक्टर द्वारा दिये जाते हैं कि विद्यमान पंचायत अस्तित्वहीन हो जाएगी.

सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विस्थापित किये गये गांव/ग्राम का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटघोरा	छुरीकला	छुरीकला	6772	27

अलरमेल मंगई डी.,
कलेक्टर.

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2009

क्रमांक/270/पंचायत/2009.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक बी-1-11-95 बाईस पं. 2 दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में कार्यालय कलेक्टर कोरबा की अधिसूचना क्रमांक/270/पंचायत/2009 दिनांक 28-07-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

अलरमेल मंगई डी.,
कलेक्टर.

No./270/Panchayat/2009.—In exercise of the powers conferred vide the Government of Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department's Notification No. F-1-11-95-XXII-P-2 dated 23rd February 1999, under the provisions of section 126 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and Rule 4 of Chhattisgarh Panchayat (Semaovn Ka Parivartan, Mukhyalayon Ka Visthapan Ya Badla Jana) Rules 1994 and also Notification of Urban Development Department Govt. of Chhattisgarh, the Collector of Korba Revenue Distt. hereby specifies the village for purpose of the same Act named as shown in column 2 of the table given below (here after referred as the table) for the village as part of village group of villages shown in column 3 of the table.

The disestablishment of the Gram Panchayat Chhuri Kala hereby notified and in exercise of the powers conferred under sub section 2 of section 126 of the said act the Collector hereby also orders that disestablished Gram Panchayat Chhuri Kala shall cease to exist.

TABLE

Name of Block	Name of Gram Panchayat	Village or Group of Villages Disestablished	Population	Patwari circle Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Katghora	Chhuri Kala	Chhuri Kala	6772	27

ALRMEL MANGAI D.,
Collector.

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2009

क्रमांक/270/पंचा./2009.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-11-95 बाईस पं. 2 दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 126 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम 1994 के नियम 4 के प्रावधान के अधीन एवं छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर के द्वारा ग्राम पंचायत पाली के स्थान पर नगर पंचायत पाली गठित करने की आशय की अधिसूचना जारी करने के फलस्वरूप राजस्व जिला कोरबा के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में दर्शाए ग्राम पंचायत जिसका विवरण सारणी के स्तंभ तीन में दर्शाया गया है, के विस्थापन का विनिश्चिय सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित करते हैं. उक्त

अधिनियम की धारा 126 की उपधारा 2 के तहत एतद्द्वारा यह आदेश भी कलेक्टर द्वारा दिये जाते हैं कि विद्यमान पंचायत अस्तित्वहीन हो जाएगी.

सारणी

खण्ड का नाम (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	विस्थापित किये गये गांव/ ग्राम का नाम (3)	जनसंख्या (4)	पटवारी हल्का नं. (5)
पाली	पाली	पाली	4762	09

अलरमेल मंगई डी.,
कलेक्टर.

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2009

क्रमांक/270/पंचायत/2009.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक बी-1-11-95 बाईस पं. 2 दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में कार्यालय कलेक्टर कोरबा की अधिसूचना क्रमांक/270/पंचायत/2009 दिनांक 28-07-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

अलरमेल मंगई डी.,
कलेक्टर.

No./270/Panchayat/2009.—In exercise of the powers conferred vide the Government of Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department's Notification No. F-1-11-95-XXII-P-2 dated 23rd February 1999, under the provisions of section 126 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and Rule 4 of Chhattisgarh Panchayat (Semaovn Ka Parivartan, Mukhyalayon Ka Visthapan Ya Badla Jana) Rules 1994 and also Notification of Urban Development Department Govt. of Chhattisgarh, the Collector of Korba Revenue Distt. hereby specifies the village for purpose of the same Act named as shown in column 2 of the table given below (here after referred as the table) for the village as part of village group of villages shown in column 3 of the table.

The disestablishment of the Gram Panchayat Pali is hereby notified and in exercise of the power's conferred under sub section 2 of section 126 of the said act the Collector hereby also orders that disestablished Gram Panchayat Pali shall cease to exist.

TABLE

Name of Block (1)	Name of Gram Panchayat (2)	Village or Group of Villages Disestablished (3)	Population (4)	Patwari circle Number (5)
Pali	Pali	Pali	4762	09

ALRMEL MANGAI D.,
Collector.